FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत जिला कलक्टर, सवाईमाधोपुर मुकाम

राजेश कुमार बनाम सरकार

किस्म मुकद्दमा ..... नं० 15/06/26 सन् .....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
8/6/2026	आज पर पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित है। वकील प्रार्थी द्वारा अपील दिनांक 21/5/2026 की पालना में प्रमाणनामा / पुनर्विलोकन पेश किया है, प्रार्थी की प्रमाणन सुरेश चन्द पुत्र हरीचन्द जाति जाट निवासी ठि० तहसील बहरोड़ द्वारा पेश की है। प्रार्थी द्वारा दावेशुदा ठि० तहसील बहरोड़ की फसली वर्ष 2025-2026 की गिरदावरी पेश की है, जाराबी ख० नं० 452 रकबा 0.9200 है० हि० 1/4 खातेदार / फसलवार के नाम दर्ज स्थित है। अतः प्रकरण में प्रस्तुत प्रमाणनामा तस्दीक किया जाता है, अब तस्दीक प्रमाणनामा अग्रेषित किया जावे। प्रकरण में जब्त शुदा वाहन पिकअप वाहन नं० RJ05 GB 6623 किसी अन्य प्रकरण में बाधित न हो तो निगरानकार पुनर्दावार सापेक्ष इकरार उसी फौजी पुत्र चतरराम जोगावाड निवासी मालपत तहसील बहरोड़ को पुनर्दावी में दे दिया जावे। पुनर्दावार उक्त वाहन का खुर्द-बुर्द नहीं करेगा। जब भी उक्त वाहन की न्यायालय में आवश्यकता होगी पुनर्दावार अपने खर्चे पर उक्त वाहन को न्यायालय के समक्ष पेश करेगा। इसी प्रकरण में जब्त शुदा वाहन को पुनर्दावी में दे दिया है, अब प्रकरण में कोई कार्यवाही किया जाना शेष नहीं है। अब प्रकरण की कार्यवाही पूर्णरूप की जाकी है। पत्रावली पेश मुताबिक है। वकील को मंजूरी बाद तामील तहसील पत्रावली रिकार्ड हो।	सुरेश चन्द महेन्द्र सिंह जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सवाईमाधोपुर

जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट
सवाईमाधोपुर